

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 60/2018 अपील (GCMS 2018/00066)

पंजीयन दिनांक- 14/05/2018

निर्णय दिनांक- 18/09/2023

1. श्री लोगर पिता उदा डांगी, निवासी भलों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती फेंफाबाई पिता उदा डांगी, निवासी भलों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती चुन्नीबाई पिता उदा डांगी, निवासी भलों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती शालिनी पत्नि स्व. अनिल शर्मा, निवासी उदयपुर, हाल निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. सुश्री आकांशा शर्मा पुत्री स्व. अनिल शर्मा, अल्पवयस्क जरिये माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती शालिनी शर्मा, निवासी उदयपुर, हाल निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. सुश्री अदिती शर्मा पुत्री स्व. अनिल शर्मा, अल्पवयस्क जरिये माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती शालिनी शर्मा, निवासी उदयपुर, हाल निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री आर्यन शर्मा पुत्र स्व. अनिल शर्मा, अल्पवयस्क जरिये माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती शालिनी शर्मा, निवासी उदयपुर, हाल निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

-रेस्पोंडेंट्स

उपस्थिति:-

- | | |
|--|--|
| 1. श्री खुबीलाल सिंघवी | अधिवक्ता अपीलांट्स (बवक्त बहस अनुपस्थित) |
| 2. श्री अनुराग शर्मा | अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 |
| 3. श्री मुरलीधर पालीवाल,
राजकीय अभिभाषक | अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 5 |

अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 09/2014 निर्णय दिनांक 15.06.2017

निर्णय

दिनांक 18/09/2023

- अपीलांत द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 09/2014 निर्णय दिनांक 15.06.2017 के विरुद्ध दिनांक 20.04.2018 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।
- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट/अपीलांत अनिल शर्मा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा में अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी नामांतरकरण संख्या 170 निर्णय दिनांक 20.12.1964 ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा, तहसील, गिर्वा, जिला उदयपुर के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छोटा भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में रेस्पोंडेंट अनिल शर्मा की कृषि भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नम्बर 1803 से 1812 कुल कित्ता 10 रकबा 0.6850 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें 1/2 हिस्सा है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 1309 से 1312 है। उक्त कृषि भूमि रेस्पोंडेंट अनिल शर्मा के पूर्वजों की है तथा राजस्व रेकार्ड में भी जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 तथा उसके बाद की जमाबंदी में भी श्रीमती सुंदर बाई पत्नि श्री हिम्मतराम व रेस्पोंडेंट अनिल शर्मा के पिता श्री सतीशचन्द्र के नाम से 1/2-1/2 भाग दर्ज चली आ रही है, श्रीमती सुंदर बाई पत्नि श्री हिम्मतराम ने अपना हिस्सा अपीलांट्स/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 3 श्री लोगर व अन्य के पूर्वहिताधिकारियों को विक्रय कर दिया लेकिन नामांतरकरण खोलते समय ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा ने रेस्पोंडेंट अनिल शर्मा के पिता सतीशचन्द्र शर्मा का 1/2 हिस्सा भी अपीलांट्स/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 3 श्री लोगर व अन्य के पूर्वहिताधिकारियों के नाम से दर्ज कर दिया तथा अपीलांट्स/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 3 श्री लोगर व अन्य के

पूर्वहिताधिकारियों से विरासत से उक्त भूमि अपीलान्ट्स/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 3 श्री लोगर व अन्य के नाम दर्ज है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 09/2004 निर्णय दिनांक 15.06.2017 से रेस्पोंडेंट/अपीलान्ट अनिल शर्मा की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा का नामांतरकरण संख्या 170 दिनांक 20.12.1964 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, गिर्वा को प्रतिप्रेषित किया जाने से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.06.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:- “ अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा का नामांतरकरण संख्या 170 दिनांक 20.12.1964 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, गिर्वा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट या उसके पूर्वाधिकारी द्वारा रेस्पोंडेंट के पूर्वाधिकारी को भूमि का बेचान किया गया अथवा नहीं तथा उभयपक्ष को सुनकर पुनः नये सिरे से नामांतरकरण स्वीकृत करें।”
- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री खुबीलाल सिंघवी बवक्त बहस अनुपस्थित, परंतु लिखित बहस पूर्व में पेश, रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा उपस्थित तथा रेस्पोंडेंट संख्या 5 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.09.2023 को सुनी गई।
- अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने पूर्व में अपनी लिखित बहस पेश की जाकर बताया कि अपील में वर्णित भूमि जिसके हाल आराजी नम्बर 1803 से 1812 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 0.6850 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा जिसके साबिक आराजी नम्बर 1309 से 1312 मौजा भल्लों का गुड़ा, पटवार सर्कल भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में स्थित होकर जिस पर अपीलान्ट्स के पिता उदा डांगी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र 1962

में श्रीमती सुंदर बाई पत्नि स्व. हिम्मताराम नामक व्यक्ति से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका इंतकाल नम्बर 170 दिनांक 20.12.1964 के दिवस नियमानुसार विक्रय-पत्र एवं मौके व कब्जे की जांच कर पंचायत भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा विधिवत् ढंग से खोला गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी, न ही उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की गुंजायश थी, नही आवश्यकता थी। उक्त इंतकाल दिनांक 20.12.1964 के दिवस यानि पुरे 55 वर्ष पूर्व उक्त पंचायत द्वारा खोला गया था एवं अपीलांट्स के पिता के नाम राजस्व अभिलेखों में उक्त नामांतरकरण के आधार अंकन किया गया। अपीलांट्स के पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट्स स्वामी होकर अधिकारी है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट्स स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 4 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि ग्राम छोटा भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में रेस्पोडेंट्स की कृषि भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नम्बर 1803 से 1812 कुल किता 10 रकबा 0.6850 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें 1/2 हिस्सा है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 1309 से 1312 है। उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों की है तथा राजस्व रेकार्ड में भी जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 तथा उसके बाद की जमाबंदी में भी श्रीमती सुंदर बाई पत्नि श्री हिम्मताराम व रेस्पोडेंट्स के पिता श्री सतीशचन्द्र के नाम से 1/2-1/2 भाग दर्ज चली आ रही है, श्रीमती सुंदर बाई पत्नि श्री हिम्मताराम ने अपना हिस्सा अपीलांट्स के पूर्वहिताधिकारियों को विक्रय कर दिया लेकिन नामांतरकरण खोलते समय ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा ने रेस्पोडेंट्स के पिता सतीशचन्द्र शर्मा का 1/2 हिस्सा भी अपीलांट्स के पूर्वहिताधिकारियों के नाम से दर्ज कर दिया। उक्त नामांतरकरण अवैध व शुन्य है। अतः उक्त अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया। जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 तक विक्रयशुदा भूमि श्रीमती सुंदरबाई पत्नि हिम्मताराम व सतीशचन्द्र पिता हिम्मताराम के नाम से दर्ज थी

जिसमें श्रीमती सुंदरबाई ने अपना हिस्सा बिकाव किया था, लेकिन ग्राम पंचायत ने श्री सतीशचन्द्र के हिस्से का भी बिकाव के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक कर दिया जिससे उक्त नामांतरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.06.2017 से उचित निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाट्स खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 5 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा दिनांक 15.06.2017 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत निवेदन किया गया।
- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2017 की अपील अपीलाट्स द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 20.04.2018 को पेश की है, जो मयाद बाहर पेश हुई है। अपीलाट्स द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम में यह वर्णित किया है कि अपीलाट्स अनपढ़ होकर ग्रामिण है, उन्हे क्या निर्णय हुआ जिसकी जानकारी नहीं थी, अतः अपीलाट्स के प्रार्थना पत्र एवं अखण्डत शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।
- अब हम अपील में गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी नामांतरकरण संख्या 170 निर्णय दिनांक 20.12.1964 ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा, तहसील, गिर्वा, जिला उदयपुर के विरुद्ध प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 09/2004 निर्णय दिनांक 15.06.2017 से रेस्पोंडेंट अनिल शर्मा की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा का नामांतरकरण संख्या 170 दिनांक 20.12.1964 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, गिर्वा को प्रतिप्रेषित किया जाने से

व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई है।

- प्रकरण में अभिलेख से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 1803 से 1812 कुल किता 10 रकबा 0.6850 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें रेस्पोंडेंट का 1/2 हिस्सा था। जिसके साबिक आराजी नम्बर 1309 से 1312 है। उक्त कृषि भूमि रेस्पोंडेंट अनिल शर्मा के पूर्वजों की थी तथा राजस्व रेकार्ड में भी जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 तथा उसके बाद की जमाबंदी में भी श्रीमती सुंदर बाई पत्नि श्री हिम्तराम व रेस्पोंडेंट अनिल शर्मा के पिता श्री सतीशचन्द्र के नाम से 1/2-1/2 भाग दर्ज चली आ रही थी। श्रीमती सुंदर बाई पत्नि श्री हिम्तराम ने अपना हिस्सा अपीलांट्स संख्या 1 से 3 श्री लोगर व अन्य के पूर्वहिताधिकारियों को विक्रय कर दिया था। ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा ने नामांतरकरण खोलते समय अनिल शर्मा के पिता सतीशचन्द्र शर्मा का 1/2 हिस्सा भी अपीलांट्स संख्या 1 से 3 श्री लोगर व अन्य के पूर्वहिताधिकारियों के नाम से दर्ज कर दिया।
- प्रकरण में स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम भल्लों का गुड़ा के साबिक आराजी नम्बर 1309 से 1312 किता 4 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1803 से 1812 किता 10 रकबा 0.6850 हैक्टेयर श्रीमती सुंदरबाई पत्नि हिम्तराम व श्री सतीशचन्द्र ब्राह्मण 1/2-1/2 के खातेदार थे। श्रीमती सुंदरबाई पत्नि हिम्तराम द्वारा अपना 1/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा अर्थात् 0.3425 हैक्टेयर हिस्सा जरिये विक्रय पत्र से उदा पिता चतरा डांगी को विक्रय कर दिया था, जो अपीलांट्स के पिता है। उक्त आराजीयात का शेष 1/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा अर्थात् 0.3425 हैक्टेयर हिस्सा श्री सतीशचन्द्र के खाते यथावत दर्ज रहा है, जो की श्री अनिल शर्मा रेस्पोंडेंट के पिता थे।
- प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा द्वारा वर्णित आराजीयात का नामांतरकरण 170 दिनांक 20.12.1964 दर्ज करते समय नामांतरकरण में श्रीमती सुंदरबाई पत्नि हिम्तराम 1/2 हिस्से के साथ श्री सतीशचन्द्र ब्राह्मण का 1/2 हिस्सा भी दर्ज कर दिया गया था, जबकि

श्रीमती सुंदरबाई पत्नि हिम्मताराम द्वारा 1/2 श्री उदा पिता चतरा डांगी को जरिये विक्रय पत्र से विक्रय किया गया था उसी हिस्से का नामांतरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। उक्तानुसार उक्त नामांतरकरण प्रथमदृष्टया विधिक रूप त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

- राजस्व ग्राम भल्लों का गुड़ा की वर्णित विवादित आराजीयात में उभपक्षों में विवाद की स्थिति के मध्येनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक 15.06.2017 से निर्णय पारित करते हुए नामांतरकरण संख्या 170 निर्णय दिनांक 20.12.1964 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, गिर्वा को प्रतिप्रेषित कर उपभपक्षों का सुनकर निर्णय पारित करने का जो निर्णय किया है वह उचित प्रतित होता है।
- उपरोक्त समग्र विवेचन के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है, अतएवं अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के निर्णय दिनांक 15.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर